भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

01.04.2026 के

अतारांकित प्रश्न सं. 6075 का उत्तर

रेलवे स्टेशन

6075. श्री आदित्य यादव:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मानती है कि देश के सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों में स्वचालित अपशिष्ट पृथक्करण इकाइयां, खुद साफ हो जाने वाले शौचालय और जैव-अपशिष्ट पुनर्चक्रण इकाइयां स्थापित की जानी चाहिए ताकि एक स्वच्छ परिवहन वातावरण बनाया जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा प्रस्तावित पहलों जैसे जल संरक्षण उपायों, वर्षा जल संचयन और ऊर्जा-कुशल स्मार्ट लाइटिंग से स्टेशन के सतत संचालन में मदद मिलेगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ग): भारतीय रेल स्टेशन परिचालन में प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन को उच्च वरीयता देती है, जिसमें इसके निपटान और पृथकीकरण, जल संरक्षण और ऊर्जा दक्षता शामिल है। इस संबंध में की गई महत्वपूर्ण पहलें निम्नानुसार हैं:-

- **स्रोत पर ही जैव-अपघट्य अपशिष्ट और गैर-अपघट्य अपशिष्ट को पृथक करने के लिए बड़े स्टेशनों पर दो डिब्बों वाले कूड़ेदानों का प्रावधान किया गया है।**
- **रेलगाड़ियों के अंदर अपशिष्ट को एकत्रित किया जाता है और कूड़ा बैंगों का मार्गवर्ती नामित स्टेशनों पर निपटान किया जाता है।**

- स्थानीय परिस्थितियों, व्यवहार्यता और आवश्यकता के आधार पर स्थानीय रेल प्राधिकारियों और नगर निकायों के बीच अपशिष्ट निपटान के लिए समझौते किए गए हैं।
- भारतीय रेल के 200 से अधिक स्टेशनों पर आवश्यकतानुसार मलजल शोधन संयंत्र (एसटीपी), अपशिष्ट शोधन संयंत्र (ईटीपी) जैसी अवसंरचनाएं स्थापित और कमीशन की गई हैं।
- सामग्री पुनर्प्राप्त सुविधा (एमआरएफ) स्थापित की गई हैं, जहाँ गैर-खाद योग्य ठोस अपशिष्ट का अस्थायी तौर पर भंडार किया जा सकता है ताकि अपशिष्ट के विभिन्न घटकों से पुनर्चक्रित करने योग्य सामग्रियों को पृथक करना, छांटना और पुनर्प्राप्त करना सुगम हो सके।
- रेल पटरियों पर मल गिरने से रोकने के लिए सभी सवारी डिब्बों में ज़ीरो डिस्चार्ज जैव-शौचालय लगाए गए हैं। जैव शौचालय के प्रावधान का ब्यौरा निम्नानुसार है:

अवधि	लगाए गए जैव-शौचालयों की संख्या
2004-2014	9,587
2014- फरवरी, 2026 तक	3,66,250

- आवश्यकतानुसार बड़े स्टेशनों पर प्लास्टिक बोतल क्रशिंग मशीनें (पीबीसीएम) स्थापित की गई हैं।
- जल के कुशल और किफ़ायती उपयोग और जल प्रबंधन में व्यवस्थित दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए, रेलवे बोर्ड द्वारा 2017 में "भारतीय रेल जल नीति" जारी की गई है, जिसमें जल खपत को मापने और उसका हिसाब रखने के बारे में बताया गया है। रेल मंत्रालय जल का उपयोग कम करके, जल संरक्षण के लिए कदम उठा रही है। इसके लिए रेलवे मुख्य खपत केंद्रों पर नियमित जल लेखा-परीक्षण करती ताकि जल उपयोग का हिसाब रखा जा सके और जल पुनर्चक्रण संयंत्र से शोधित किए गए जल का उपयोग अन्य संबंधित प्रयोजनों (पीने लायक नहीं) के लिए किया जा सके। रेलवे में वर्षा जल संग्रहण प्रणालियां भी संस्थापित की जा रही है और सभी भवनों में इन्हें अनिवार्य किया गया है।
- स्टेशनों के पुनर्विकास के पर्यावरण प्रबंधन योजना में जल पुनर्चक्रण और वर्षा जल संचयन जैसे जल संरक्षण के उपायों पर भी ठीक से ध्यान दिया जाता है।
- स्वचालित सवारी डिब्बा धुलाई संयंत्र उपयोग किए गए जल का पुनर्चक्रण करके जल संरक्षण में सहायता करते हैं।

- **भारतीय रेल ने गैर-कर्षण में ऊर्जा दक्षता के उपाय अपनाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसमें ऊर्जा दक्षता से जुड़े कई पहलू शामिल हैं, जैसे सेंसर आधारित और टाइमर नियंत्रित प्रकाश प्रणाली का व्यापक तौर पर उपयोग, गाड़ी आवाजाही से जुड़े सर्किट पृथककरण के माध्यम से स्वचालित 30%-70% प्लेटफॉर्म पर प्रकाश व्यवस्था। इसके अलावा, भारतीय रेल ने अपने कार्यालयों, रेलवे स्टेशनों, सेवा भवनों और आवासीय कॉलोनियों में पहले ही 100% एलईडी प्रकाश व्यवस्था की है।**
